

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(कल्याण शाखा)

निविदा सूचना

खूँटी जिलान्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् करनेवाले छात्र/छात्राओं को दो सेट पोशाक (स्कर्ट- नेमी ब्लू एवं ब्लाउज-सफेद छात्राओं के लिये तथा नेमी ब्लू फुलपैट एवं सफेद शर्ट छात्रों के लिये) एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति करने हेतु अधिकृत विक्रेताओं से अलग-अलग, दिनांक 6.03.2017 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता विहित प्रपत्र में अपना निविदा जिला कल्याण कार्यालय, खूँटी में निर्धारित अवधि के पूर्व जमा कर सकते हैं। दिनांक 6.03.2017 के अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी जिसमें नमूना एवं संबंधित कागजातों के साथ वे उपस्थित रहेंगे। आपूर्ति संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

विवरणी - 1. पोशाक, छात्राओं के लिये :-


क्र. सं.	दर प्रति मी. नेमी ब्लू (स्कर्ट) 138 c.m. width (67+33%)	दर प्रति मी. सफेद (ब्लाउज) 90 c.m. width (67+33%)	कपड़े की निर्धारित मात्रा (2 सेट हेतु) प्रति छात्रा 3 मी0 सूटिंग(नेमी ब्लू)/ 3 मी0 शर्टिंग(सफेद) की राशि	सिलाई दर, दो सेट स्कर्ट/ ब्लाउज	कुल राशि, दो सेट के लिये (कपड़ा एवं सिलाई सहित)	कंपनी/ब्रांड का नाम
1	2	3	4	5	6	7

विवरणी - 2. पोशाक छात्रों के लिये :-

क्र. सं.	दर प्रति मी. नेमी ब्लू (फुलपैट) 138 c.m. width (67+33%)	दर प्रति मी. सफेद (शर्ट) 90 c.m. width (67+33%)	कपड़े की निर्धारित मात्रा (2 सेट हेतु) प्रति छात्र 3 मी0 सूटिंग(नेमी ब्लू)/ 3 मी0 शर्टिंग(सफेद) की राशि	सिलाई दर, दो सेट फुलपैट/शर्ट	कुल राशि, दो सेट के लिये (कपड़ा एवं सिलाई सहित)	कंपनी/ब्रांड का नाम
1	2	3	4	5	6	7

विवरणी - 3. खाद्य-सामग्री :- (सूची कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट पर देखा जा सकता है)

निविदा, निविदा की शर्तें एवं खाद्य-सामग्रियों की सूची कार्यालय के सूचना-पट्ट एवं www.khunti.nic.in पर भी देखा जा सकता है।



उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(कल्याण शाखा)

निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदादाता को पोशाक आपूर्ति एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिये अलग-अलग निविदा करना होगा जिसके लिये अधिकृत विक्रेता एवं सिलाई करने का अनुज्ञापति होना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में पोशाक आपूर्ति के लिये 25,000.00 (पच्चीस हजार) ₹0 तथा खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिये 1,00,000.00 (एक लाख) ₹0 का बैंक ड्राफ्ट, जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को आयकर निबंधन संख्या एवं वर्ष 2016-17 सहित विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिला प्रमाण-पत्र देना होगा तथा उनका प्रतिष्ठान/दुकान पूर्व से काली सूची में दर्ज नहीं है, का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को झारखण्ड बिक्रीकर अंतर्गत राज्य अंतर्गत किसी जिला से निबंधित होना अनिवार्य है जिसके लिये स्वच्छता प्रमाण-पत्र अद्यतन संलग्न करना होगा। प्रतिष्ठान/दुकान माप-तौल एवं नियंत्रक विभाग के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा।
5. स्कर्ट-ब्लाउज एवं फुलपैट-शर्ट का मात्र एक-एक नमूना एवं सभी कर सहित दर देना है। एक से अधिक नमूना एवं दर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम दर एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में जाकर सभी छात्र/छात्राओं का अलग-अलग मापी लेकर पोशाक की सिलाई करनी होगी।
6. खाद्य सामग्रियों का दर सूची के अनुसार प्रति कि०ग्रा०/प्रति क्वींटल दर्शाते हुए नमूना क्रय समिति के समक्ष उपस्थापित करना होगा। एक सामग्री के लिये एक नमूना एवं एक दर ही अनुमान्य होगा। एक से अधिक नमूना एवं दर देने वाले निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का अनुज्ञापति प्राप्त निविदादाता के निविदा पर ही क्रय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। मात्र आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजार दर से बहुत कम/बहुत ज्यादा दर दर्शाने वाले निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जाएगा।
7. स्वीकृत निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के लिये खाद्य सामग्रियों का आपूर्ति विद्यालय में पहुँचाकर करना होगा तथा पोशाक की आपूर्ति मई 2017 तक निश्चित रूप से करना होगा। खाद्य सामग्रियों को सरकारी मापदण्ड के अनुसार प्रधानाध्यापक से प्राप्त सूची के अनुसार संबंधित आवासीय विद्यालयों में पहुँचाकर करनी होगी पोशाक/खाद्य सामग्री को विद्यालय में पहुँचाने के लिये अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा। सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक सामग्री आवासीय विद्यालयों में देने पर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने तथा किसी भी कंडिका को क्षान्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।



उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(कल्याण शाखा)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये खूँटी जिलान्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति

क्र.सं.	सामग्री का नाम	दर (प्रति कि.ग्रा./प्रति पीस)	क्र.सं.	सामग्री का नाम	दर (प्रति कि.ग्रा./प्रति पीस)
1	चावल उत्तम		39	माचिस	
2	चावल मध्यम		40	फिनाईल (ईंगल) 500 मी०लि०	
3	अरवा चावल (खीर वाला)		41	ब्लीचिंग पाउडर - 500 ग्राम	
4	अरहर दाल		42	टॉर्च का बैट्री	
5	मुंग दाल		43	पापड़ (200 ग्राम)	
6	मसूर दाल		44	लालटेन	
7	चना दाल		45	लालटेन फीता - 8 ईंच	
8	चना देशी		46	लालटेन चिमनी	
9	गुड़		47	नारियल तेल	
10	चूड़ा		48	नारियल झाड़ू	
11	मुंगफली दाना		49	नारियल रस्सी	
12	चीनी		50	फुल झाड़ू	
13	सूजी		51	नाथलॉन रस्सी	
14	आटा		52	जलावन कोयला	
15	हल्दी		53	जलावन लकड़ी	
16	धनिया गोटा		54	रॉबिन ब्लू नील 100 ग्राम	
17	हल्दी पाउडर		55	लाईब्रॉथ साबुन 75 ग्राम	
18	धनियां पाउडर		56	लक्स साबुन 75 ग्राम	
19	गोल मिर्च गोटा		57	गोल्डमोहर साबुन 150 ग्राम	
20	गोल मिर्च पाउडर		58	घड़ी साबुन 150 ग्राम	
21	जीरा गोटा		59	व्हील एक्टिव पाउडर 1 कि.ग्रा.	
22	जीरा पाउडर		60	नमक (आयोडाइज्ड) 1 कि.ग्रा.	
23	लाल मिर्चा गोटा		61	गड़ी	
24	लाल मिर्चा पाउडर		62	किशमिश	
25	पंचफोरन		63	काजू	
26	तेजपत्ता		64	छुहाड़ा	
27	आलू		65	हॉर्लिक्स - 1 कि.ग्रा. (रिफिल पैक)	
28	प्याज		66	सलाईस ब्रेड - 200 ग्राम	
29	गरम मसाला		67	खरसी मीट	
30	सरसों तेल हाथी मार्का		68	अण्डा	
31	डालडा (वनस्पति)		69	दुध	
32	डालडा खजूर		70	पनीर	
33	रिफाईन तेल		71	मुर्गा मीट (फार्म)	
34	बेसन		72	सेव फल	
35	मिक्स मसाला		73	केला	
36	कोलगेट टुथ पेस्ट 50 ग्राम		74	संतरा	
37	कोलगेट टुथ पाउडर 100 ग्राम		75	अंगूर	
38	टुथ ब्रस एवं जीमी		76	नासपती	


उप विकास आयुक्त,
खूँटी।